राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 03/2019 आवंटन निरस्तीकरण प्रार्थना पत्र

1. दूदाराम पिता गोकल गुर्जर निवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट तहसील आसींद
2. पारस पिता पोखर गुर्जर निवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट तहसील आसींद
3. धर्मा पिता पोखर गुर्जरनिवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट तहसील आसींद
4. देवीलाल पिता पोखर गुर्जर निवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट तहसील आसींद
5. श्रीमती झमकू पत्नी अम्बा गुर्जर निवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. भैरू पिता जगू गुर्जर निवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया तहसील आसींद
2. भोमा पिता जगू गुर्जर निवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया तहसील आसींद
3. गोपाल पिता जगू गुर्जर निवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया तहसील आसींद
4. आशा पुत्री जगू गुर्जर निवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया तहसील आसींद
5. श्रीमती तुलछी पत्नी जगू गुर्जर निवासी हेमा का खेड़ा मजरा रामपुरिया तहसील आसींद
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार आसींद

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17–ए राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968

उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री कृष्ण गोपाल शर्मा अधिवक्ता – विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक 17.11.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण के आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट तहसील–आसीन्द के कमाण्ड क्षेत्र में स्थित आराजी नं. 1069 में से 0.26 है० रकबा भूमि का दिनांक 27–11–2004 को विपक्षी सं. 1 से 4 के पिता जगू पिता गोकल गुर्जर एवं विपक्षी सं. 5 श्रीमती तुलछी पत्नी जगू गुर्जर को कर दिया गया जो गैर कानूनी होने से निरस्तनीय

अति. जिला कलक्टर (राज.) भीलवाड़ा

17.11.25

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

है। जगू पिता गोकल गुर्जर एवं श्रीमती तुलछी पत्नी जगू गुर्जर ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर एवं राजस्व कर्मचारियों व पटवारी हल्का से सांठ गांठ कर आवंटन कमेटी को अंधेरे में रखकर उक्त आवंटन कराया है जो फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन की परिभाषा में आने से उक्त आवंटन निरस्तनीय है। चूंकि आवंटियों को उक्त आवंटित भूमि पर पैमूदगी द्वारा कब्जा नहीं दिया गया जिससे उन्होंने आज तक आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटनशुदा भूमि के 50 प्रतिशत भाग को एवं अगले वर्ष में सम्पूर्ण भूभाग को काबिल काश्त कर उसमें आवंटियों द्वारा काश्त किया जाना आवश्यक होता है किन्तु उक्त आवंटियों ने उक्त भूमि पर न तो कभी कब्जा किया और न ही उन्होंने कभी उसमें काश्त की है जिससे उनके द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने से उनको किया गया उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के खातेदारी जमीन से जुड़ी हुई है जिस पर हमारा विगत 30 वर्षों से निरंतर कब्जा चला आ रहा है । इस भूमि के उत्तर से दक्षिणी तरफ हमने थोहरों की बाड़ कर रखी है जो काफी बड़ी है और पूर्व से पश्चिम में हमने मिट्टी का डोल लगा रखा है। विपक्षीगण सद्भाविक काश्तकार नहीं है बल्कि वे कृषि से भिन्न अन्य व्यवसाय करते हैं अर्थात् उनका मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं होकर अन्य व्यवसाय है और वे उसी व्यवसाय पर आश्रित हैं। उक्त भूमि के आवंटन की उद्घोषणा भी नियमानुसार जारी नहीं की गयी थी और ना ही आवंटन कमेटी का पूरा कोरम था । प्रार्थना है कि विपक्षी सं. 1 से 4 के पिता जगु पिता तुलछा गुर्जर व विपक्षी सं. 5 श्रीमती तुलछी पत्नी जगू गुर्जर को ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट तहसील–आसीन्द के कमाण्ड क्षेत्र में स्थित आराजी नं. 1069 में से 0.26 है. रकबा भूमि का दिनांक 27–11–2004 को जो आवंटन किया गया है वह आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त कराया जावे और इस भूमि को उनके गैर खातेदारी हक से हटाया जाकर इस भूमि को हम प्रार्थीगण के खाते में दर्ज करायी जावे ।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को सम्मन नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 से 05 की ओर से जवाब पेश। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि आवंटियों को उक्त आवंटित भूमि पर पैमूदगी द्वारा कब्जा नहीं दिया गया जिससे उन्होंने आज तक आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटनशुदा भूमि के 50 प्रतिशत भाग को एवं अगले वर्ष में सम्पूर्ण भूभाग को

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

19.11.25
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

काबिल काश्त कर उसमें आवंटियों द्वारा काश्त किया जाना आवश्यक होता है किन्तु उक्त आवंटियों ने उक्त भूमि पर न तो कभी कब्जा किया और न ही उन्होंने कभी उसमें काश्त की है जिससे उनके द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं करने से उनको किया गया उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। उक्त भूमि हम प्रार्थीगण के खातेदारी जमीन से जुड़ी हुई है जिस पर हमारा विगत 30 वर्षों से निरंतर कब्जा चला आ रहा है । इस भूमि के उत्तर से दक्षिणी तरफ हमने थोहरों की बाड़ कर रखी है जो काफी बड़ी है और पूर्व से पश्चिम में हमने मिट्टी का डोल लगा रखा है। उक्त भूमि के आवंटन की उद्घोषणा भी नियमानुसार जारी नहीं की गयी थी और ना ही आवंटन कमेटी का पूरा कोरम था । प्रार्थना है कि विपक्षी सं. 1 से 4 के पिता जगु पिता तुलछा गुर्जर व विपक्षी सं. 5 श्रीमती तुलछी पत्नी जगू गुर्जर को ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट तहसील–आसीन्द के कमाण्ड क्षेत्र में स्थित आराजी नं. 1069 में से 0.26 है. रकबा भूमि का दिनांक 27–11–2004 को जो आवंटन किया गया है वह आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त कराया जावे और इस भूमि को उनके गैर खातेदारी हक से हटाया जाकर इस भूमि को हम प्रार्थीगण के खाते में दर्ज करायी जावे ।

विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम रामपुरिया पटवार हल्का दड़ावट तहसील आसीन्द में स्थित आराजी नम्बर 1069 में से 0.26 है० रकबा भूमि का दिनांक 27.11.2004 को विपक्षी सख्या 1 से 4 के पिता जगू पिता गोकल गुर्जर व विपक्षी संख्या 5 तुलछी पत्नी जगू गुर्जर को नियमानुसार आंवटन किया गया। जो आवंटन किया गया वह नियमो के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुए किया गया जो सही है। आवंटियो द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तों की पूर्णरूपेण पालना की है व आवंटित भमि को काबिल काश्त कर भूमि का उपयोग किया गया व किया जा रहा है। विपक्षीगण सदभाविक काश्तकार है एवं कृषि से भिन्न कोई व्यवसाय नहीं है। कानूनन यह प्रावधान है कि आवंटन के 10 वर्ष पश्चात स्वतः ही गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज हो जानी चाहिए। आवंटन खारिज कराने का यह प्रार्थनापत्र आवंटन के 14–15 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है जो मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य है। निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाने का आदेश दिया जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आरबीजे (8) 2001 पेज 126 से 129, 2016(2) डीएनजे (राज.) 732 पेश किये।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

नन किया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रार्थी ने अपने प्राथना पत्र मे अंकन किया कि उन्हे उक्त आवंटन के बार में वर्ष 2019 में जानकारी हुयी। किन्तु प्रार्थी ने ने 15 वर्ष पश्चात् उक्त आवंटन की जानकारी होने बाबत् कोई ठोस कारण अंकित नही किये एवं न ही इस हेतु कोई प्रमाणिक दस्तावेज पेश किये। विपक्षीगण द्वारा खसरा गिरदावरी की प्रति पेश की गयी जिसमें विपक्षीगणों द्वारा मक्का फसल का इन्द्राज हैं, जिससे जाहिर होता हैं कि उक्त आराजी पर विपक्षीगणों का कब्जा हैं।

उक्त विवेचन अनुसार इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् आवंटन निरस्तीकरण मियाद बाहर होने से एवं कब्जा विपक्षीगणों का होने से अस्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 17–ए राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षैत्र में सरकारी भूमि आवंटन) नियम 1968 सारहीन होने से अस्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.11.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा